समाहरणालय, मधेपुरा

(स्थापना शाखा)

पत्रांक...................../स्था0

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वित्त विभाग, बिहार पटना।

मधेपुरा, दिनांक– अगस्त 2014

विषय :– CWJC No–14962/2007 उद्यानन्द अभिलाषी एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य तथा CWJC No–2650/2008 संजय कुमार एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–22.10.2013 को पारित न्यायादेश से उत्पन्न MJC................ /2014 संजय कुमार एवं अन्य तथा MJC............../2014 उद्यानन्द अभिलाषी एवं अन्य के संबंध में।

प्रसंग :– इस कार्यालय का पत्रांक–23–2, दिनांक–15.01.2014, पत्रांक–617–2(सपत्र)/स्था0, दिनांक–25.07.2014 एवं पत्रांक–678–2/स्था0, दिनांक–06.08.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के क्रम में कहना है कि CWJC No–14962/2007 उद्यानन्द अभिलाषी एवं CWJC No– 2650/2008 संजय कुमार मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–22.10.2013 को पारित न्यायादेश निम्न प्रकार है :–

"I find that this is also a good reason for holding that the petitioner's are entitled for similar scale as it has been allowed to other candidates who were selected with the petitioner. For all these reasons, I find that the petitioner's have been able to make out their case for issuance of direction to the respondent no-5 the secretary cum commissioner, finance department, secretariat, patna as well as respondent no-1,2,3&4 to start making payment to the petitioners salary in the scale of Rs. 4000-6000/- and to make payment of arrears of salary of this scale from the date of their appointment. The payments should be made from the date of their appointment. The respondents must complete the exercise within two months from the date of receipt/production of a copy pf this order."

उपर्युक्त न्यायादेश के अनुपालन हेतु प्रासंगिक पत्रों से मार्गदर्शन की मांग की गयी थी, जो अप्राप्त है।

पुनः सूचित करना है कि CWJC No–14962/2007 एवं CWJC No–2650/2008 में दिनांक–22.10.2013 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु Writ petitioners के द्वारा अपना वेतनमान संशोधन हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में MJC.........../2014 संजय कुमार एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य तथा MJC .... /2014 उद्यानन्द अभिलाषी एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य दायर कर दिया गया है।

अतः भवदीय से पुनः अनुरोध है कि CWJC No–14962/2007 एवं CWJC No–2650/2008 में दिनांक–22.10.13 को पारित न्यायादेश के विरूद्ध जनसेवकों द्वारा दायर MJC के आलोक में शीघ्र मार्गदर्शन संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक....707-2..../स्था0, मधेपुरा, दिनांक– 14 अगस्त 2014

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को वेवसाईट पर अपलोड एवं ईमेल करने हेतु प्रेषित।

14/08/14
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।